जवाब प्रा-पत्र मे दिनांक 20.11.24 को पेश हो।

20-11-24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील विपक्षी जवाब प्रा-पत्र पेश करने का अवसर चाहते है। पुर्व मे इन्हे कई अवसर दिये जा चुके है। अब न्यायहित मे अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 8-1-25 को पेश हो।

8-1-25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील विपक्षी जवाब प्रा-पत्र पेश करने का अवसर चाहते है। पुर्व मे अंतिम अवसर दिया गया था। अब न्यायहित मे अवसर बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस मे दिनांक 23-1-25 को पेश हो।

23-1-25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण उभय पक्ष की बहस सूनी गई, प्रकरण मे वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा-पत्र O9 R-O9 CPC के अनुसार अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण मे पेशी ता. 31-5-22 को वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित नही होने से दावा अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारीज किया गया था। अधिवक्तागण न्यायिक कार्य के बहिष्कार पर होने से पेशी ता. पर उपस्थित नही हो सके थे। अतः प्रार्थी का प्रा-पत्र स्वीकार फरमाया जावे। इस पर वकील विपक्षी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा-पत्र मे प्रकरण स. व अनवान का कही अंकन किया नही गया है। व प्रकरण मे संलग्न नकल आदेशिका के अनुसार वादी जिरह बन्द कि जाकर अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारीज किया गया है। जिसे अब जिरह वादी खोलने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है। अतः प्रार्थी का प्रा-पत्र O9 R-9 CPC का खारीज फरमाया जावे।

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	जो इस हुक्म ... में जारी ...
	प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुनी गई एक प्रा-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रा-पत्र मे प्रकरण स-व अनवान का कही अंकन नही किया गया है। व प्रकरण मे सलग्न आदेशिका दि 24.2.22. से लगायत 31.5-22 तक की प्रमाणित छाया प्रति का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिसमे दिनांक 31.5.22 की आदेशिका के अनुसार उभय पक्ष को न्यायालय मे तीन अवाजें लगाई गई किन्तु वादी गण ब वकील वादी एवं प्रतिवादी गण या वकील प्रतिवादी उपस्थित नही हुए प्रकरण जिरह वादी मे विचाराधिन था। वकील वादी को जिरह हेतु पूर्व मे कई अवसर दिये जा चुके थे। फिर भी जिरह वादी पेश नही करने से प्रकरण मे जिरह वादी बन्द करते हुए दावा अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारीज किया गया है। जब इस न्यायालय द्वारा दावा पत्रावली मे जिरह वादी बन्द कर दि गई है तो जिरह वादी को सूनने का अधिकार इस न्यायलय को प्राप्त नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नि.09 जा-दी एवं धारा 151 जा-दी का एतद द्वारा खारीज किया जाता है। प्रा-पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]	